

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—धुवाला(मांडल) तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-174/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री नारायण पिता मगना भील, उम्र बालिग निवासी धुवाला(मांडल) तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

- 1-श्री मगना पिता छोगा भील, उम्र बालिग निवासी धुवाला(मांडल) तहसील मांडल
- 2-श्री सांवर पिता मगना भील, उम्र बालिग निवासी धुवाला(मांडल) तहसील मांडल
- 3-मु0 श्यामु पुत्री मगना भील, उम्र बालिग निवासी धुवाला(मांडल) तहसील मांडल
- 4-श्री काना पिता मगना भील, उम्र बालिग निवासी धुवाला(मांडल) तहसील मांडल
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उप पंजीयक महोदय, मांडल तहसील
मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या
1 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज
दिनांक 9.5.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

आपसी राजीनामा अनुसार ग्राम धुवाला(मांडल) तहसील मांडल में
स्थित आराजी नम्बर 2775 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी मगना पिता छोगा
भील के साथ-साथ वादी नारायण, प्रतिवादी सांवर, एवं प्रतिवादी काना का नाम सह
खातेदार काश्तकार के रूप में जोड़ते हुये प्रत्येक का 1/4 हिस्सा की घोषणा करते
हुये तदनुसार विभाजन करने का आदेश दिया जाता है।

(सी.एल.शर्मा)

आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 9.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा